भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर–डमडमा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.97है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

1	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
2	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप–वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	हाँ
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दिनांक 08.01.2015 को स्थल कोऑर्डिनेट N30°14′48″ E79°06′42″ से किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री आकाश कुमार वर्मा उप–वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर, श्री सुरेन्द्र लाल एस0डी0ओ0 एवं वन क्षेत्राधिकारी श्री रविन्द्र कुमार निराला, नरेन्द्र सिंह अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग एवं श्री जी0बी0 जोशी सहायक अभियन्ता साथ में रहे। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानीपूर्वक किया जाय।

तिथि : 08/01/15

स्थान : गोपेश्वर

08/01/15

(एस0एस0 रसाइली)

निदेशक/वन संरक्षक

नन्दादेवी वायोस्फीयर रिजर्व

गोपेश्वर